अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
22/08/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षणवाद संख्याः-34/2019** **नलिन कुमार झा.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षणवाद श्री नलिन कुमार झा, पिता-स्व0 उपेन्द्र झा, सा0-चैनपुर, थाना-भीमपुर, जिला-सुपौल के द्वारा बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-9(7/a) तथा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2012 के नियम-15 के तहत न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा जमाबंदी रद्द एवं सुधार अपीलवाद संख्या-06/2017 नलिन कुमार झा बनाम शोभानन्द पाठक व मायानन्द पाठक, पिता-स्व0 हरिदेव पाठक, सा0-चैनपुर, पो0-बलुआ बाजार, थाना-भीमपुर, जिला-सुपौल को पक्षकार बनाया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि उनके द्वारा अंचल-छातापुर, मौजा-चैनपुर के खाता सं0-111, खेसरा सं0-685, रकवा-0-14-01 (चौदह कट्ठा तीन धूर) भूमि से संबंधित जमाबंदी संख्या-127 को रद्द करने के लिए बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-9 के तहत अपर समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष आवेदन किया गया, जिसके आधार पर जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-04/2016 आरंभ की गई। उक्त वाद में विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा गलत गैरकानूनी तथ झूठा जबाव दाखिल किया गया। अपर समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा उक्त वाद में उभय पक्ष की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 23.05.2017 को गलत एवं विधिविरूद्ध आदेश पारित किये जाने पर उनके द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष	

अपीलवाद संख्या-06/2017 दायर किया गया। समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा दिनांक 30.05.2019 को आदेश पारित करते हुए अपर समाहर्त्ता के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। उक्त आक्षेपित आदेश को खंडित करने का अनुरोध करते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता का वादपत्र के माध्यम से कहना है कि प्रश्नगत भूमि श्याम सुन्दर मिश्र के द्वारा दिनांक 22.01.1951 को केबाला के द्वारा हरि पाठक को बेची गई। उक्त केबाला के पृष्ठ पर ही हरि पाठक के द्वारा प्रश्नगत भूमि पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता-उपेन्द्र झा, पिता-चन्द्रशेखर झा को हस्तांतरित कर दी गई तथा उपेन्द्र झा को उक्त भूमि पर दखल भी दिलाया गया। तब से ही प्रश्नगत भूमि उपेन्द्र झा के दखल कब्जा में है तथा वे उक्त भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा भी उपेन्द्र झा से लगान प्राप्त करते हुए उन्हें लगान रसीद दिया गया, जो उन्हें प्रश्नगत भूमि का प्रामाणिक रैयत सिद्ध करता है। भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा जमा रिटर्न के आधार पर राज्य सरकार के सिरिस्ता में उपेन्द्र झा के नाम से जमाबंदी सं0-09 कायम की गई तथा वर्ष 1970 तक वे लगान जमा कर लगान रसीद प्राप्त करते रहे हैं। पुनरीक्षणकर्त्ता का यह भी कहना है कि रिविजनल सर्वे के दौरान प्रश्नगत खाता उपेन्द्र झा के नाम पर दर्ज किया गया, जिसके विरूद्ध हरिदेव पाठक के द्वारा आपत्ति वाद सं0-205 दायर किया गया। उक्त वाद में उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 21.02.1969 को उपेन्द्र झा के दखल कब्जा के आधार पर हरिदेव पाठक की आपत्ति को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध न तो हरिदेव पाठक के द्वारा और न ही विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा वाद दायर किया गया। सर्वे प्राधिकार का आदेश अंतिम हैं, जिसका ठीक ढंग से संज्ञान निम्न न्यायालय के द्वारा नहीं लिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि काफी समय बीत जाने के उपरान्त विपक्षी पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं0-3905/2014 दायर किया गया तथा अंचल अधिकारी के द्वारा उन्हें सूचित किये बिना हल्का कर्मचारी के गलत, झूठी तथा कपटपूर्ण एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर बिना प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण किये दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए प्रश्नगत जमाबंदी कायम कर दी गई। उनका कहना है कि विज्ञ समाहर्त्ता को

इस तथ्य का संज्ञान लेना था कि हरदेव पाठक स्वय स्वीकार करत थ कि प्रश्नगत भूमि उपेन्द्र झा की है, जिनका भूमि पर दखल था। इस कारण उन्हें विपक्षी प्रथम पक्ष को एस्टोपल के सिद्धान्त के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा करने से प्रतिबंधित करना चाहिए था। उनका यह भी कहना है कि विज्ञ समाहर्त्ता इस तथ्य का संज्ञान लेने में असफल रहे कि बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-5, 6 एवं 9 इस वाद में लागू नहीं होता है। साथ ही पूर्व से चल रही जमाबंदी सख्यां-09 को जिसके रकवा 1 एकड़ 18 डिसमिल में प्रश्नगत भूमि शामिल है, को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वह भूतपूर्व जमीन्दार के समय से राज्य सरकार के समय तक चलती आ रही थी। वादी का कहना है कि विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पूर्व में प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा जोत-आवाद किया जाता रहा, किन्तु वे उसे मनकूत पर दिया जाने का असत्य कथन कर रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खंडित करते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी की ओर से दाखिल जबाव के माध्यम से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि श्याम सुन्दर मिश्र से निबंधित केबाला सं0-377 दिनांक 22.01.1951 के द्वारा विपक्षीगणों के पिता-हरिदेव पाठक को प्राप्त हुआ तथा भूमि कब्जा करने के उपरान्त खरीदगी भूमि पर उनका दखल-कब्जा हुआ था अंचल सिरिस्ता में उनके नाम से जमाबंदी कायम की गई। हरिदेव पाठक की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर विपक्षीगणों को दखल कब्जा प्राप्त हुआ तथा वर्तमान में जमाबंदी खं0-1270 विपक्षीगणों के नाम से चल रही है तथा इसका लगान देकर लगान रसीद प्राप्त किया जा रहा हैं। उनके अनुसार पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा गलतबयानी की जा रही है कि केबाला के पारपृष्ठ पर स्व0 हरिदेव पाठक के द्वारा उक्त भूमि बेच देने के संबंध में कथन किया गया है। यदि ऐसा है भी तो वह संदेहास्पद फर्जी तथा गढ़ा हुआ है, जिसका कानून की दृष्टि में साक्ष्य के रूप में कोई महत्व नहीं है। विपक्षीगणों का कहना है कि सर्वे के दौरान हरिदेव पाठक के द्वारा कोई भी आपत्ति आवेदन दाखिल नहीं किया गया। भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा लगान प्राप्त कर उपेन्द्र झा का

लगान रसीद निर्गत किये जाने तथा उसके आधार पर राज्य सरकार के सिरिस्ता में उन्हें वास्तविक रैयत मानते हुए लगान लेकर लगान रसीद दिये जाने के पुनरीक्षणकर्त्ता के दावा के संबंध में विपक्षी का कहना है कि यदि ऐसा कोई लगान रसीद उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह फर्जी तथा गढ़ा हुआ है। विपक्षीगणों का कहना है कि हरिदेव पाठक की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान के रूप में विपक्षीगणों के द्वारा अंचल अधिकारी, छातापुर के समक्ष दाखिल-खारिज आवेदन दायर किये जाने पर कागजातों तथा दखल कब्जा के आधार पर उनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए जमाबंदी सं0-1270 कायम किया गया, जो नियमानुसार तथा विधिसम्मत है। अंचल अधिकारी, छातापुर के उक्त दाखिल-खारिज आदेश के विरूद्ध कोई अपील दाखिल नहीं किया गया। अपितु सीधे अपर समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-04/2016 दायर किया गया, जिसमें अंचल अधिकारी, छातापुर से प्राप्त प्रश्नगत भूमि के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को रद्द कर दिया गया। उक्त आवेदन के विरूद्ध उनके द्वारा समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष अपील वाद सं0-06/2017 दायर किया गया, जिसमें उभय पक्षों के सुनने तथा दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त अपर समाहर्त्ता, सुपौल के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत विपक्षीगणों का कहना है कि अपर समाहर्त्ता, सुपौल तथा समाहर्त्ता, सुपौल का आदेश सही, विधिसम्मत तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदालोक में उनके द्वारा इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने तथा उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी के संबंध में विस्तृत रूप से विचारोपरान्त सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय से इतर कोई नया साक्ष्य इस न्यायालय में भी उनके द्वारा नहीं रखा गया है। वर्ष 1951 के जिस विक्रय विलेख के पारपृष्ठ पर हरि पाठक के द्वारा उपेन्द्र झा को भूमि हस्तांतरण किये जाने का दावा किया जा रहा है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय का

आदेश सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में इस पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

22/8/24

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

22/8/24

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2347/विधि सहरसा, दिनांक 23-8-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद सं0-34/2019 में दिनांक-22.08.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, सुपौल के पत्रांक 02/अभि0/सपत्र, दिनांक 18.01.2020 से संबंधित निम्न न्यायालय अभिलेख-06/2017 (आदेश फलक-05 पन्ना एवं अन्य कागजात-78 पन्ना कुल-83 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- श्री नलिन कुमार झा, पिता-स्व0 उपेन्द्र झा / शोभानन्द पाठक व मायानन्द पाठक, दोनों पिता-स्व0 हरिदेव पाठक, सभी सा0-चैनपुर, थाना-भीमपुर, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।